न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 160/2018

अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स

हुक्माराम पुत्र भंवराराम जाति जाट
निवासी ढाणीपुरा तहसील रिंयाबडी जिला नागौर।

1राज. सरकार जरिये पटवारी ढाणीपुरा।
2प्रवीण चौधरी पुत्री दीपचंद चौधरी जाति जाट
निवासी ढाणीपुरा हाल निवासी डेगाना।
3उप तहसीलदार भैरून्दा।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 की ओर से।
3. श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 06.03.20

{1}—मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 14/2018 सरकार बनाम हुक्माराम में निर्णय दिनांक 07.02.2018 के तहत मौजा ढाणीपुरा के खसरा नं. 354 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 16.07.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार भैरून्दा के प्रकरण सं. 14/18 सरकार बनाम हुक्माराम मे पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी प्रवीण चौधरी पुत्र दीपचंद चौधरी जाति जाट निवासी ढाणीपुरा हाल निवासी डेगाना की ओर से एडवोकेट डूंगरराम चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O-1, R-10 धारा 151 सीपीसी का दिनांक 13.8.18 को पेश किया। जिसका जवाब वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 02.08.19 को दिया गया। जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 11.02.2020 को प्रार्थी प्रवीण चौधरी को रेस्पोडेन्ट सं. 2 पक्षकार रिकार्ड पर लिया गया तथा वकील अपीलांट के प्रार्थना पत्र O-1, R-10 धारा 151 सीपीसी दिनांक 2.8.19 बाबत उप तहसीलदार भैरून्दा को रेस्पोडेन्ट पक्षकार रेकर्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया। जिस पर उन्हे रेस्पोडेन्ट पक्षकार सं. 3 पर लिया जाता है। उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा तहसीलदार रियाबडी के पत्र दिनांक 7.2.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.1.18 की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3.5.18 की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.18 की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रियाबडी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.18 की फोटोप्रति, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 11.9.17 की फोटोप्रति, समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ की फोटोप्रति, उपतहसीलदार भैरून्दा के आदेश दिनांक 23.5.18 की फोटोप्रति, उप तहसीलदार भैरून्दा के आदेश दिनांक 6.7.18 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस मौजा ढाणीपुरा के खसरा नं. 354 की फोटोप्रति, नकल जमाबंदी मौजा ढाणीपुरा संवत 2066 खसरा नं. 354 की फोटोप्रति, नकल जमाबंदी ग्राम ढाणीपुरा संवत 2066 की फोटोप्रति, जमाबंदी खेवट खतोनी ग्राम ढाणीपुरा संवत 2020 से 2023 की फोटोप्रति, मौजा ढाणीपुरा के नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति पेश की गई है।

{2}—उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा बेदखल

अपर कलक्टर, नागौर

करने की धमकी दिये जाने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर पता लगाया, जिस पर अपीलांट को उक्त निर्णय के बारे मे पता चला, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 2.7.18 को नकल हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर अपीलांट को दिनांक 5.7.18 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब सर्वप्रथम अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिससे अपीलांट जानकारी ने अंदर मियाद अपील पेश की है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व रूहेदाद मिसल है।

{2}(II)–खसरा नं. 354 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. गोचर पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। रेस्पोडेन्ट ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलांट का अतिक्रमण बताया है। जबकि अपीलांट का जहां पर अतिक्रमण बताया गया है, वह आबादी भूमि है तथा घनी आबादी के बीच मे स्थित है। जिस पर अपीलांट का कब्जा पीढियो से कायम रहता चला आ रहा है। गोचर भूमि उक्त भूमि से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी एवं वाकियाती गलती की है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्वांत के विपरीत मनमाने रूप से बिना किसी आधार के निर्णय जैर अपील पारित करने मे बडी भारी भूल की है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नही है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा आराजी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की उन्होने सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की। जिस पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हुई है। जिससे रेस्पोडेन्ट हितबद्व पक्षकार है। आराजी भूमि गै.मु. चारागाह भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट एवं सभी ग्रामवासियो के मवेशी गाये आदि चरते है तथा इस भूमि मे सार्वजनिक जन हित है। इसलिये भी अपीलांट हितबद्व व्यक्ति होने के नाते अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार भी नही दिये जा सकते है। इसलिये आराजी भूमि पर अपीलांट के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से उसे यथावत रखा जाना चाहिये।

{4}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ढाणीपुरा में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ढाणीपुरा के खसरा नंबर 354 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार की भूमियो का आंवटन/नियमन प्रतिबंधित भी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर
राजस्थान